न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या : 50/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

गणेश पिता लक्ष्मण बलाई नि0 निम्बाहेडा कला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

———————प्रार्थी

बनाम

1 देबी पिता सुखा बलाई निवासी निम्बाहेडाकला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2 तेजू पिता उदा बलाई निवासी निम्बाहेडाकला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3 बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा रायला जरिये मेनेजर बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

———————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —
1 श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय

दिनांक 09—10—20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 12.03.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा निम्बाहेडाकला पटवार मण्डल निम्बाहेडाकला तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 51 का आराजी नम्बर 104 , 1014/106 कुल खसरा 02 रकबा 03 बीघा एंव खाता संख्या 50 का आराजी न0 107 रकबा 16 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी—पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 76 , 102 के मेर के सहारे—सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

दिनांक 30.09.2020 को प्रकरण में हल्का पटवारी निम्बाहेडाकला द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा निम्बाहेडाकला के आराजी न0 76 रकबा 2.05 बीघा मे से 0.01 बीघा एंव आराजी नं0 102 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.03 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी बबराणा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. ग्राम निम्बाहेडाकला में खातेदारी आराजी नं0 104 , 1014/106 , 107 मे पहुंचने हेतू ग्राम निम्बाहेडाकला की आ0न0 76 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.01 बीघा , व आ0न0 102 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.02 बीघा कुल 0.03 बीघा रास्ता चाहा गया है ।
2. प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे पहुंचने हेतु उक्त आराजी से रास्ता का उपयोग करता आ रहा है । जिसकी दुरी 379 मीटर है ।
3. प्रार्थी को उक्त खातेदारी भूमि मे पहुंचने हेतू कोई रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है ।
4. ग्राम निम्बाहेडाकला की आ0न0 76 रकबा 2.01 बीघा किस्म बंजड श्री देबी पिता सुखा बलाई 8/9 व रामचन्द्र पिता सुखा बलाई 1/9 निम्बाहेडाकला के खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिसमे 0.01 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।
5. इसी प्रकार ग्राम निम्बाहेडाकला की आ0न0 102 रकबा 2.01 बीघा किस्म बंजड , बारानी श्री तेजू पिता उदा बलाई नि0 निम्बाहेडाकला के खातेदारी दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त सम्पूर्ण खाता बी.आर.जी.बी. शाखा रायला के रहन दर्ज है जिसमे से 0.02 बीघा किस्त बीड बंजड भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।
6. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 33636/– प्रति बीघा से 0.03 बीघा भूमि की मालियत 5046 बनती है ।
7. प्रार्थी के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता लधुत्तम मार्ग है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा निम्बाहेडाकला की आराजी नं0 76 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.01 बीघा , व आ0न0 102 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.02 बीघा कुल 0.03 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेंतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। एंव मौजा निम्बाहेडाकला की आ0न0 76 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.01 बीघा , व आ0न0 102 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.02 बीघा कुल 0.03 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0.03 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बबराणा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा निम्बाहेडाकला पटवार मण्डल निम्बाहेडा कला तहसील बनेडा स्थित आराजी नं0 104 , 1014/106 , 107 मे पहुंचने हेतू ग्राम निम्बाहेडाकला की आ0न0 76 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.01 बीघा , व आ0न0 102 रकबा 2.01 बीघा मे से 0.02 बीघा कुल 0.03 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0.03 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

लिए मन विश्वास कर लिया है।